

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 जनवरी 2014—पौष 23, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2014

क्र. बी-7(ए) 55-2011-2-पांच(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (लिपिकीय) सेवा भरती नियम, 1983 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. विद्यमान नियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“6. **भरती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

- (क) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा, सीधी भरती द्वारा या साक्षात्कार द्वारा या दोनों द्वारा;
 - (ख) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;
 - (ग) उन व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूलतः या स्थानापन्न रूप में धारण करते हैं, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए.
- (2) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण यह अपेक्षित हो तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सेवा में भरती के लिए उक्त उप नियम में विनिर्दिष्ट से भिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगा जैसा कि सरकार द्वारा इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित किया जाए.
- (3) उप-नियम (1) के खण्ड (क), खण्ड (ख) एवं खण्ड (ग) के अधीन भरती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाई गई प्रतिशतता से अधिक नहीं होगी.”

2. अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 7 तथा 8 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

“अनुसूची—एक
(नियम 4 तथा 5 देखिए)

अनु- क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	कुल पदों की संख्या	वर्गीकरण	नियुक्ति प्राधिकारी	विद्यमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान दिनांक 1-1-2006 से प्रभावशील	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
7.	सहायक ग्रेड-2/ लेखापाल	91/70	161	मध्यप्रदेश आबकारी श्रेणी-तीन (लिपिकीय).	आबकारी आयुक्त.	4000-100-6000	5200-20200+ ग्रेड पे 2400.”.

3. अनुसूची-दो में, कॉलम (3) में अनुक्रमांक 7 तथा 8 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

“अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	भरे जाने वाले पद का प्रतिशत		अन्य सेवा से व्यक्ति के स्थानांतरण द्वारा [नियम 6(1)(ग) देखिए]	
			सीधी भरती द्वारा [नियम 6(1) (क) देखिए]	सेवा के सदस्य की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1) (ख)देखिए]		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
आबकारी विभाग मध्यप्रदेश.	मध्यप्रदेश आबकारी श्रेणी-तीन (लिपिकीय) सेवा.	7. सहायक ग्रेड-2/ लेखापाल	91/70	—	100 प्रतिशत	— .”.

4. अनुसूची-चार में, कॉलम (2) में अनुक्रमांक 3 तथा 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :-

“अनुसूची-चार
(नियम 13 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पद पर न्यूनतम सेवा की कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति का गठन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
आबकारी विभाग मध्यप्रदेश.	3. सहायक ग्रेड-2/ लेखापाल.	मुख्य लिपिक/ सहायक ग्रेड-1/ सांख्यिकीय पर्यवेक्षक.	3 वर्ष की सेवा तथा कम्प्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए.	1. अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन) — अध्यक्ष 2. उपायुक्त, आबकारी — सदस्य 3. सहायक आयुक्त आबकारी — सदस्य यदि ऊपर उल्लिखित कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हों तब आबकारी आयुक्त द्वारा उसी स्तर (प्रास्थिति) का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य नामनिर्दिष्ट किया जाएगा—सदस्य.”.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2014

क्र. बी-7(ए) 55-2011-2-पांच(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-7(ए) 55-2011-2-पांच(1), दिनांक 13 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 13th January 2014

No. B-7(A)55-2011-2-V(1).—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Excise Sub-ordinate Class-III (Ministerial) Service, Recruitment Rules, 1983, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. for the existing rule 6, the following rule shall be substituted, namely :—

“6. **Method of Recruitment.**—(1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :—

- By Competitive examination, by direct recruitment or by interview or by both;
- By promotion of members of service as specified in column (2) of Schedule IV;
- By transfer of persons who held in a substantive or officiating capacity such post in such services as specified in this behalf.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of the Appointing Authority the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may with the prior concurrence of the General Administration Department through the Administrative Department adopt such method of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as may be prescribe by the order issued in this behalf by the State Government.

(3) The number of persons recruited under clause (a), clause (b) and clause (c) of sub-rule (1) shall not any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of posts specified in Schedule-I.”

2. In Scedule-1, for serial number 7 and 8 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE-I
(See rule 4 and 5)

S. No.	Name of the Post included in the Service	Total Number of post	Classification	Appointing Authority	Current Pay scale	Revised pay Scale w.e.f. 1-1-2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	Assistnat Grade-2/ Accountant	91/70 161	Madhya Pradesh Excise Class-III (Ministerial).	Excise Commissioner	4000-100-6000	5200-20200+ Grade pay 2400.”.

3. In Schedule-II, in column (3), for serial number 7 and 8 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

“SCHEDULE-II
(See rule 6)

Name of the Department	Name of Service	Name of the post included in the Service	Percentage of post to be filled		By transfer of person from other service See rule 6 (1) (c) (6)
			By direct recruitment See rule 6 (1) (a)	By promotion of member of the service See rule 6 (1) (b) (5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Excise Department Madhya Pradesh.	Madhya Pradesh Excise Class-III (Ministrerial) Service.	Assistant Grade-2/ Accountant	91/70	-	100% - ”.

4. In Schedule-IV, in column (2), for serial number 3 and 4 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, namely :—

“ SCHEDULE-IV
(See rule 13)

Name of the Department	Name of post from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Minimum service period on the post specified in column (2) for promotion	Constitution of the Department Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)
Excise Department, Madhya Pradesh.	Assistant Grade-2/ Accountant	Head Clerk/ Assistant Grade-1/ Statistical Supervisor.	3 Years Service and should have knowledge of computer operation.	1. Additional Excise Commissioner (Administration) —Chairman 2. Duputy Commissioner Excise—Member 3. Assistant Commissioner Excise—Member If any one of the above member does not represent the scheduled castes/ Schedule tribe, then one member belong to scheduled caste or schedule tribe category of the same status shall be nominated by the Excise Commissioner- Member.”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.